-1-

# न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

(13)

प्रकरण कमांक /2007 रिव्यू

निग 760-I/07

1—अब्दुल मजीद

2—अब्दुल अजीज

3—अब्दुल सगीर

4— मोहम्मद शरीफ

पुत्रगण शेख इस्लाम

निवासीगण मुगावली तहसील मुंगावली

जिला गुना, म0प्र0

——— आवेदक/अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एडु. द्वारा आज दि० 1-5-07 को प्रस्तुत।
1/5/07
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
1-5-07

विरूद्ध

डा० प्रमोद जैन पुत्र कुन्दनलाल जैन
निवासी मुंगावली तहसील मुंगावली
जिला गुना म.प्र.

अनावेदक

रिव्यु अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश पारित श्री देवेन्द्र सिघई सदस्य राजस्व मण्डल के न्यायालय के प्रकरण कमांक आर/1–चार/1999 में पारित आदेश दिनांक 15–9–2005 के ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न तथ्य और आधारों पर रिव्यू प्रस्तुत है ।

1— यहकि, माननीय न्यायालय का आदेश विधि एवं विधान एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है ।

2— यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार नहीं किया गया जो स्पष्टता निर्णय को देखने मात्र से प्रगट होता ।

3— यहकि, माननीय न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय के निर्णय एवं डिकी के पद कमांक 5 को पढ़ने एवं उसके संबंध में त्रुटि पूर्ण निष्कर्ष निकाला है, अवलोकन हो पैरा 5

5— यहकि, प्रतिवादी 1 लगायत 4 को मीरकावाद की रोड़ को केन्द्र विन्दु मानकर जो भूमि दी जा रही है । उस लम्बाई चौड़ाई में यदि मौके पर सर्वे कमांक 344 का कुछ अंश आना है तो उस पर तथा सर्वे कमांक 343 का जो भाग दिया है उस पर प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 4 नामांतरण कराने ...

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक रिव्यु 760–एक/07** जिला –अशोकनगर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 8.5.16 | आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।<br>2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1–चार/99 में पारित आदेश दिनांक 15.9.05 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 760–एक/07 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।<br>3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1–चार/1999 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 15.9.05 से किया जा चुका है।<br>4– रिव्यु प्रकरण कमांक 760–एक/07 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– | |

Rev-760 F/07

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य